



192



समक्ष न्यायालय म.प्र. भू राजस्व मंडल, ग्वालियर(म.प्र.)

ग्रंज-५ २३-१-१६

वि.अ.क. / 2016

याचिकाकर्तागण:-

अपीलार्थीगण

मुन्नी बाई
मुन्नी बाई
27/1/16



अधीक्षक


न्यायालय कमिशनर, जबलपुर संभाग

प्रत्यर्थीगण:-

- खेमचंद लोधी आत्मज हरप्रसाद लोधी (फौत)
1. हरि बाई पति स्व. खेमचंद लोधी उम्र-58 वर्ष
 2. रज्जो बाई आत्मजा खेमचंद लोधी उम्र-22 वर्ष
 3. रामकुमारी पति रूप सिंह लोधी उम्र- 20 वर्ष
 4. दुर्गा बाई पति कमलेश लोधी उम्र-26 वर्ष
 5. गीता बाई पति बाबूलाल लोधी उम्र-30 वर्ष
 6. ओमप्रकाश आत्मज स्व. खेमचंद लोधी उम्र-19 वर्ष
- निवासी घाट पिपरिया, तहसील व जिला-नरसिंहपुर

विरुद्ध

1. मुन्नी बाई लोधी पति स्व. उजयारसिंह लोधी उम्र-53 वर्ष
2. दशरथ लोधी उम्र- 16 वर्ष
3. दुर्जन लोधी उम्र- 13 वर्ष
- क. 2 एवं 3 वली मॉ मुन्नी बाई पति उजयार सिंह
4. सावित्री लोधी उम्र-25 वर्ष
5. जीजी बाई लोधी उम्र-19 वर्ष
6. त्रिवेणी बाई लोधी उम्र-18 वर्ष
- क. 4, 5, 6 आत्मजा स्व. श्री उजयार सिंह सभी निवासी- घाट पिपरिया, तहसील व जिला-नरसिंहपुर



अपील / रिवीजन अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थीगण उपरोक्त अपील / रिवीजन श्रीमान अनुविभागीय

अधिकारी नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 30.09.15 रा.अ.क. 783
27-2013-2014 पक्षकार मुन्नी बाई व अन्य विरुद्ध खेमचंद में पारित

• 8 JAN 2016

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक निगरानी 423-एक / 2016 जिला - नरसिंहपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा पक्षों आदि के हस्ताक्षर
-----------------	--------------------	--

25.2.19

आवेदक के अधिवक्ता श्री सी0 एल0 सतनामी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रकरण क्रमांक 78 / अ-27 / 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.9.2015 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-

धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-

(ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।

3—परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों।

पेशी दिनांक 29/4/19

कलेक्टर जिला नरसिंहपुर

सदस्य